

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

THE COURT

120of
2015 SPL

Date of
order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

17/05/2017

आवेदक/अभियुक्त मनीष कोरी द्वारा श्री मुंशीसिंह यादव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक 120/15 निकाला गया।

आवेदक/अभियुक्त मनीष की ओर से श्री गजेन्द्रसिंह ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि इस आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है, न निरस्त हुआ है और ना ही विचाराधीन है, परंतु आवेदन में यह व्यक्त किया है कि यह आवेदक का द्वितीय जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं०प्र०सं० का है। इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में यह द्वितीय जमानत आवेदनपत्र बताया गया है। आवेदन में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रथम जमानत आवेदन कब निरस्त हुआ है। परंतु प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 द.प्र.सं. दि०-15/02/2016 को बल न देने के कारण निरस्त हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त मनीष कोरी के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से व्यक्त किया गया है कि इस प्रकरण के अपराध से आवेदक का कोई संबंध नहीं है। उसके विरुद्ध गलत रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई जाकर आरोपी बनाया गया है। उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक इस मामले में गिरफ्तारी दि० से ही न्यायिक अभिरक्षा में होकर जेल में बंद है, आवेदक 30 वर्षीय नवयुवक है, उसके फरार होने व अभियोजन साक्षियों को प्रभावित किए जाने की आशंका नहीं है, वह नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा और जमानत की शर्तों का पालन करेगा।

सहअभियुक्तगण की जमानतें इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी हैं, आवेदक का मामला भी सहअभियुक्तों से भिन्न नहीं है, इसलिये आवेदक को भी जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना

की गई है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन मौखिक रूप से विरोध किया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक 120/15 के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार फरियादी रविन्द्रसिंह सिसोदिया दिनांक 30/04/2014 को शाम 07:00 बजे अपनी मोटरसाइकिल पल्सर क्र0-एम.पी.-30 एम.एफ 8940 से पिपरसाना से वापिस अपने गांव गुरीखा आ रहा था। जैसे ही कैडबरीज फौवट्री के पीछे नहर के रास्ते पर पहुंचा, तभी सामने से दो मोटरसाइकिलों पर चार व्यक्तियों ने धीरे लिया, उनमें से एक व्यक्ति ने फरियादी पर कटटा तानकर उतरने को कहा तो फरियादी मोटरसाइकिल से उतर गया तथा एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल जबदस्ती ले ली और स्टार्ट कर ली तब एक बोला कि इसका मोबाइल भी छीन लो तो फरियादी ने खेत की तरफ दौड़ लगा दी, उनमें से किसीने पीछे से फायर किया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना मालनपुर पर की गई। जिस पर से थाना मालनपुर में अपराध क्रमांक 95/14 अंतर्गत धारा-394 भा.दं.सं. तथा 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. अधिनियम 1981 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

दौरान अनुसंधान यह तथ्य सामने आया कि उक्त मोटरसाइकिल की लूट अभियुक्त गजेन्द्र माहौर, मनीष कोली, आकाश उर्फ भोंदा एवं हरेन्द्र राणा के द्वारा की गयी थी।

म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक मनीष का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश की सत्यप्रतिलिपि विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक 120/15 में संलग्न की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(मोहम्मद अजहर)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)